पटना में दिनांक–31 मई, 2017 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	कृषि विभाग		
1.	किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 6424.88149 लाख (चौसठ करोड़ चौबीस लाख अठासी हजार एक सौ उनचास) रू० व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	1.	स्वीकृत।
	जल संसाधन विभाग		
2.	जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012 में संविदा के आधार पर नियोजित 114 कनीय अभियंता (असैनिक) में से वर्तमान में कार्यरत 86 कनीय अभियंता (असैनिक) एवं वर्ष 2013 में नियोजित एक कनीय अभियंता (असैनिक) कुल 87 कनीय अभियंता (असैनिक) का एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए नियोजन।	2.	स्वीकृत।
	नगर विकास एवं आवास विभाग		
3.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अंतर्गत स्कीम तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के विभिन्न घटकों में बजट उपबंध की कर्णांकित कुल राशि में से ₹102148.59 लाख (दस अरब इक्कीस करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद को आवंटित करने हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन)		
4.	बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण इच्छुक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंकों के साथ होने वाले एकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क की देयता में छूट के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग		
5.	श्री सुधीर कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद द्वारा ₹24.51 लाख (चौबीस लाख इक्यावन हजार रूपये) सरकारी राशि के गबन होने के कारण सेवा से बर्खास्तगी के विरूद्ध दिये गये पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव।	5.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. गया जिलान्तर्गत बॉकेबाजार प्रखण्ड में सोनदाहा जलाशय योजना के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अपयोजित की जा रही अंचल–बॉकेबाजार, मौजा/थाना सं०–सोनदाहा/255, खाता सं०–71, खेसरा सं०–10, एवं 335 में रकबा क्रमशः 4.00 एकड़ एवं 4.50 एकड़ कुल रकबा–8.50 एकड़ किस्म जमीन वन भूमि के बदले अंचल–बॉकेबाजार, मौजा/थाना सं०–नागोवार/ 230, खाता सं०–24, खेसरा सं०–71, 72 एवं 110 में रकबा क्रमशः 4.06 एकड़, 1.00 एकड़ एवं 3.44 एकड़, कुल रकबा–8.50 एकड़ किस्म जमीन (अनावाद बिहार सरकार) गैर वन भूमि, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल बरबीघा के मौजा–नारायणपुर, थाना सं०–62, खाता सं०–284, खेसरा सं०–750, रकबा–07 (सात) डिसमिल गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमण्डलीय नियंत्रण एवं उपभोक्ता सहायता केन्द्र की स्थापना हेतु 2,70,000/– (दो लाख सत्तर हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 18,90,000/– (अठारह लाख नब्बे हजार) रू० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 23,62,500/– (तेईस लाख बासठ हजार पांच सौ) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–42,52,500/– (बयालीस लाख बावन हजार पॉच सौ) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. जगदीशपुर–हल्दिया गैस पाइप लाईन योजनान्तर्गत सेक्शनाईजिंग वाल्व स्टेशन निर्माण हेतु नालन्दा जिलान्तर्गत सिलाव अंचल के मौजा–गोरावॉ, थाना नं०–406, खाता सं०–491 के खेसरा सं०–5744 एवं 5746, रकबा क्रमशः–0.4146 एवं 0.3792593 एकड़ कुल रकबा–0.7938593 एकड़ गैरमजरूआ मालिक वो ठीकेदार भूमि 13000/– (तेरह हजार) रू० प्रति डिसमिल के दर से 10,32,017 रू० सलामी एवं सलामी का पॉच प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 51,600/– रू० का पच्चीस गुणा अर्थात 12,90,021/– रू० पूॅजीकृत मूल्य सहित कुल–23,22,038/– (तेईस लाख बाईस हजार अड़तीस) रू० के भुगतान पर गेल (इण्डिया) लि०–पटना (भारत सरकार के उपक्रम) को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. बांका जिलान्तर्गत बांका अंचल के मौजा– लकड़ीकोला, थाना सं०–25, खाता सं०–97, खेसरा सं०–888, कुल रकबा–7.50 एकड़ गैरमजरूआ आम किस्म परती कदीम भूमि अभियंत्रण महाविधालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

10. पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए गठित बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 के अनुमोदन के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

11. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों में से कुल–214 (दो सो चौदह) व्यवसाय अनुदेशकों के नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1029 दिनांक– 19–01–2012 एवं संकल्प संख्या–17415 दिनांक– 20–12–12 को शिथिल करते हुए दिनांक– 01–06–2017 से 31–05–2018 (एक वर्ष) तक अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए संविदा अवधि विस्तार करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

वित्त विभाग

12. बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभांवितों को Subsidy/ Scholarship इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु दिनांक–30–06–2017 तक उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

13. राज्य स्कीम के अन्तर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन बिहार राज्य अतिथिगृह, नई दिल्ली के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर–19, फेज–1, द्वारका, नई दिल्ली में आवंटित 01 (एक) एकड़ भूमि के संलग्न अतिरिक्त 01 (एक) एकड़ भूमि की लीज राशि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2500.00 लाख (पच्चीस करोड़) रूपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।